भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4547

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

महाराष्ट्र में नदियों को आपस में जोड़ना

4547. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में देशवासियों को बाढ़ और अकाल से बचाने के लिए जल वितरण को विनियमित करने हेतु विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र सहित देश में एक-दूसरे से जोड़ जाने वाली प्रमुख नदियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विशाल कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए कितनी निधि आवंटित की गई और विश्व बैंक ने कितनी निधि आवंटित की है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): वर्ष 1980 में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई थी। एनपीपी के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के अंतर्गत नदियों को जोड़ने (आईएलआर) का काम सौंपा गया है। एनपीपी के अंतर्गत ये लिंक परियोजनाएं विवेकपूर्ण रूप से बनाई गई हैं और इनका उद्देश्य जल-अधिशेष जल संग्रहण क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का भंडारण और अंतरण करना है ताकि सूखे से होने वाली कठिनाईयों को कम किया जा सके और साथ ही सालाना रूप से आने वाली बाढ़ की तबाही को कम किया जा सके।

एनपीपी के अंतर्गत, 30 लिंक परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 16 लिंक परियोजनाएँ प्रायद्वीपीय घटक के और 14 लिंक परियोजनाएँ हिमालयी घटक के तहत हैं। इन 30 लिंक परियोजनाओं में से, सभी 30 लिंक परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर), 26 लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और 11 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र राज्य को लाभ प्रदान करने वाली लिंक परियोजनाओं सहित सभी लिंक

परियोजनाओं का विवरण और उनकी मौजूदा स्थिति और संबंधित लिंक परियोजनाओं के माध्यम से जोड़ी जाने वाली प्रमुख नदियों का भी विवरण **अनुलग्नक-I** में दर्शाया गया है।

पांच परियोजनाओं को प्राथमिकृत लिंक परियोजनाओं के रूप में चिन्हित किया गया है, अर्थात; केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी), गोदावरी- कावेरी (जीसी) लिंक [जिसमें 3 लिंक शामिल हैं, अर्थात, गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर)- पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला)-कौवेरी लिंक] और संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना।

भारत सरकार आईएलआर कार्यक्रम को परामर्शदात्री तरीके से और गंभीरता से आगे बढ़ा रही है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पक्षकार के राज्यों के बीच आवश्यक सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर संयुक्त प्रयास किए गए हैं, ताकि विभिन्न आईएलआर परियोजनाओं को लागू किया जा सके। आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सितंबर 2014 में "नदियों को जोड़ने संबंधी एक विशेष समिति" का गठन किया गया है। अब तक इस विशेष समिति की 21 बैठकें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, आईएलआर कार्यक्रम के तहत कार्यों में तेजी लाने के लिए अप्रैल 2015 में नदियों को जोड़ने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है और इस टास्क फोर्स की अब तक 18 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में राज्यों का व्यापक प्रतिनिधित्व और सक्रिय भागीदारी होती है।

एनपीपी के अंतर्गत, केबीएलपी प्रथम और एकमात्र रिवर इन्टरलिंक परियोजना है, जिसका कार्यान्वयन पहले से ही शुरू हो चुका है। पक्षकार राज्यों के रूप में आम सहमति पर पहुँचने और इस लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक एमओए हस्ताक्षरित किए जाने के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। परियोजना को मार्च, 2030 तक पूरा किया जाना है।

एनपीपी के तहत, अन्य आईएलआर परियोजनाओं के लिए, उनके पूरा होने के समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह पक्षकार राज्यों के बीच अपनी-अपनी लिंक परियोजनाओं के लिए आम सहमति पर पहुंचने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए लिंक-विशिष्ट एमओए पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर करता है।

(घ): भारत सरकार द्वारा केबीएलपी के लिए बजट आवंटन का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है, जिसका कार्यान्वयन दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शुरू हुआ। आईएलआर परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई है।

*****

अनुलग्नक-I

"महाराष्ट्र में नदियों को आपस में जोड़ना" के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4547 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एनपीपी के तहत आईएलआर परियोजनाओं का विवरण और वर्तमान स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति	प्रमुख नदियाँ
1	क. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा	एफआर पूर्ण	महानदी और गोदावरी
	ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूर्ण	महानदी और गोदावरी
2	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक@	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण	गोदावरी और कृष्णा
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूर्ण	गोदावरी और कृष्णा
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूर्ण	गोदावरी और कृष्णा
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण	गोदावरी और कृष्णा
5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण	कृष्णा और पेन्नार
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश		कृष्णा और पेन्नार
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण	कृष्णा और पेन्नार
7	कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूर्ण	कृष्णा और पेन्नार
8	क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु	एफआर पूर्ण	पेन्नार, पलार और कावेरी

		और पुद्दुचेरी		
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुद्दुचेरी	मसौदा डीपीआर पूर्ण	पेन्नार, पलार और कावेरी
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिल नाडु	मसौदा डीपीआर पूर्ण	कावेरी, वैगई और गुंडार
10	क) पार्बती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	पीएफआर पूर्ण	पारबती, कालीसिंध और चम्बल
	ख) संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	एमपी और राजस्थान	मसौदा पीएफआर पूर्ण	पारबती, कालीसिंध, चंबल, कुल, बनास, मेज, कूनो, चामला, शिप्रा, लखुंदर और नेवज
11	दमनगंगा - पिंजल लिंक	महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण	दमनगंगा, पिंजल
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण	पार, तापी और नर्मदा
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश (यूपी) और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूर्ण और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है	केन और बेतवा
14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूर्ण	पंबा, अचनकोविल और वैप्पार
15	बेदती - वरदा लिंक @@	कर्नाटक	डीपीआर पूर्ण	बेदती और वरदा
16	नेत्रवती - हेमवती लिंक**	कर्नाटक	पीएफआर पूर्ण	नेत्रवती और हेमवती

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को डायवर्ट करने के लिए एक वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

** कर्नाटक सरकार द्वारा येत्तिनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद से आगे कोई अध्ययन नहीं किया गया है, इस लिंक के माध्यम से मोड़ने के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अधिशेष जल उपलब्ध नहीं है।

@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक - इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

@@ बेदती - वरदा लिंक - डीपीआर को इसके पीएफआर की तैयारी के बाद सीधे तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं किया गया था।

हिमालयी घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य/देश	स्थिति	प्रमुख नदियाँ
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण	कोसी और मेची
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण	कोसी और घाघरा
3.	गंडक - गंगा लिंक	यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण	गंडक और गंगा
4.	घाघरा-यमुना लिंक	यूपी और नेपाल	मसौदा एफआर पूर्ण	घाघरा और यमुना
5.	सारदा-यमुना लिंक	यूपी और उत्तराखंड	एफआर पूर्ण	सारदा और यमुना
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूर्ण	यमुना
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूर्ण	साबरमती
8.	चुनर-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	मसौदा एफआर पूर्ण	गंगा और सोन
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	मसौदा पीएफआर पूर्ण	सोन
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) और बिहार	एफआर पूर्ण	मानस, संकोश, तिस्ता, महानंदा और गंगा
11.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है)	प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	एफआर पूर्ण	गंगा, हुगली और विद्याधरी

13.	गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूर्ण	गंगा, दामोदर और सुवर्णरेखा
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूर्ण	सुवर्णरेखा और महानदी

अनुलग्नक-II

"महाराष्ट्र में नदियों को आपस में जोड़ना" के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4547 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

केबीएलपी के लिए आवंटित बजट

वर्ष	**आवंटित बजट (करोड़ में)**
2021-22	4644.46
2022-23	1400
2023-24	3500
2024-25	4000
2025-26	2400

*****